स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट सं0 208, दिनॉकः 26–08–2020

02 वर्षो से फरार जनपद एटा से रू0 25,000/– पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी गिरफ्तार।

दिनांक 26–08–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को 02 वर्षो से निरंतर फरार चले रहे जनपद एटा से रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी बन्टू पुत्र मक्खन को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः

बन्टू पुत्र मक्खन निवासी ग्राम लोया बादशाहपुर थाना बागवाला, एटा।
(हाल पता– बालीघाट जनपद बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

बरामदगीः

रूपया 650/– नकद।

गिरफ्तारी का स्थान व समय

दिनांक 26.08.2020, स्थानः– आसपुर चौराहा के पास, थाना क्षेत्र, मलावन, एटा समय प्रातः 06:10

विगत कुछ दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के निर्देशन में प्रभारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ एवं पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ मेरठ द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में एसटीएफ फील्ड यूनिट आगरा द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 25.08.2020 की रात्रि में मुखबिर खास से ज्ञात हुआ कि बन्टू पुत्र मक्खन निवासी ग्राम लोया बादशाहपुर थाना बागवाला, एटा जिस पर जनपद एटा से रू0 25 हजार का पुरस्कार घोषित है तथा जो वर्तमान में अपनी पहचान छिपाकर उत्तराखण्ड में कही रह रहा है, किसी काम से थाना मलावन, एटा क्षेत्रान्तर्गत आसपुर चौराहे के पास आयेगा। यदि शीघ्रता की जाये तो उसे पकड़ा जा सकता है। मुखबिर से प्राप्त इस इस सूचना पर निरीक्षक अशोक कुमार के नेतृत्व में आरक्षी संतोष कुमार, आरक्षी प्रशांत चौहान तथा आरक्षी बृजराज की एक टीम गठित कर उसे तत्काल ही मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान के लिये रवाना किया गया। टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना को सम्बन्धित थाना मलावन, एटा से सॉझा किया गया तथा उन्हें साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान थाना मलावन, एटा क्षेत्रान्तर्गत आसपुर चौराहा सं एस0टी0एफ0 टीम तथा स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त को आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति ने पूछे जाने पर अपना नाम बन्टू पुत्र मक्खन निवासी ग्राम लोया बादशाहपुर थाना बागवाला, एटा (हाल पता–बालीघाट जनपद बागेश्वर (उत्तराखण्ड) बताया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ करने पर अभियुक्त बन्टू पुत्र मक्खन निवासी उपरोक्त ने बताया कि वर्ष 2018 में थाना मलावन,एटा पर उसके विरूद्ध अपहरण एवं बलात्कार का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें वॉछित हो जाने के फलस्वरूप वह वर्ष 2018 में ही एटा से भागकर बालीघाट जिला बागेश्वर(उत्तराखण्ड) चला गया था। बालीघाट में वह अपनी पहचान छिपाकर मजदूरी का कार्य करता था। आज वह अपने गॉव की जमीन बेचने के उद्देश्य से यहॉ पर आया था।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त को थाना मलावन, जनपद एटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 166/2018 धारा 363/366/506/376 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना मलावन जनपद एटा द्वारा की जा रही है।